

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बैरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 191 वर्ष 2016

आवेदक-ठकनी देवी

क्रेता- सरुन देवी

ग्राम - ओरदाना

टोला- ओसाम

ग्राम - ओरदाना

टोला-+++

थाना - पेटरवार

जिला-बोकारो

थाना - पेटरवार

जिला- बोकारो

आदेश की क्र०
सं० एवं तारीख

01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की र
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख :
साथ।

03

आदेश

यह वाद आवेदिका- ठकनी देवी पति स्व० छत्रु महतो ग्राम-ओरदाना टोला-ओसाम थाना-पेटरवार जिला - बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
ओरदाना	09	72	2301	52 डी०	26 डी०	टॉड कृषि योग्य

को वे नितांत आवश्यक घरेलु खर्च हेतु मो० 52,000/- (बावन हजार) रुपये में क्रेता- सरुन देवी पति गणेश महतो ग्राम ओरदाना थाना-पेटरवार जिला -बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 587/रा०, दिनांक 28.10.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार का पत्रांक 669 दिनांक 19.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता तथा क्रेता दोनों कुर्मी जाति का सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम ओरदाना थाना-पेटरवार जिला-बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के दादा श्वसुर घीनु महतो के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा इसकी जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं० 107/1 पर खतियानी रैयत के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2014-15 तक लगान रसीद निर्गत है।

03. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता ठकनी देवी ने अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके दादा श्वसुर घीनु महतो के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है तथा घरेलु बँटवारा के तहत उनके पति के अंश की जमीन है। पति के मरणोपरान्त उनके अंश की जमीन का ये उत्तराधिकारिणी है एवं उसपर वे वर्तमान में शान्तिपूर्ण दखलकार है। उक्त जमीन में से अपने अंश की जमीन को वे आवश्यकता वश बिक्री कर रही हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदिका के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- धीनु महतो के नाम सर्वे खतियान तथा लगान रसीद, स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- स्वयं के नाम इसी न्यायालय में परमिशन वाद सं0 35/2016 ठकनी देवी बनाम सरून देवी में पारित आदेश की पारित आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी, पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम थाना एवं जिलांतर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के दादा श्वसुर के नाम सर्वे खतियानी जमीन है एवं जमाबन्दी भी उन्हीं के नाम से चल रही है, उसमें से अपने पति के हिस्से की है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहती हैं।

अतः आवेदिका- ठकनी देवी पति स्व0 छत्रु महतो ग्राम-ओरदाना टोला-ओसाम थाना-पेटरवार जिला- बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
ओरदाना 9	72	2301	52 डी0	26 डी0	नीज क्रेता	यदुनन्दन महतो	शंकर महतो	भदरू महतो

(छब्बीस) डीस्मिल मात्र।

मो0 1,73,500 /- (एक लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ) रुपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- सरून देवी पति गणेश महतो ग्राम ओरदाना थाना-पेटरवार जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।